FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

नरपतसिंह बनाम कौशल्या देवी वगै०

किस्म मुकदमा— इजराय मुकदमा नम्बर—13 / 2022

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	[illegible]
[illegible]2022	वकील डिक्रीदार श्री रघुनाथ सिंह शेखावत एड० ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.02.2022 की पालना मे राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण मे किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 24.03.2022 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	365/[illegible] 24-2-2022
12/3/2022	राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण प्राप्त हुआ, पक्षकार— अनुपस्थित —उप/अनु/प्रकरण नियमित न्यायालय में आगामी दिनांक 30-3-22 को प्रस्तुत हो। अध्यक्ष लोक अदालत बैंच तालुका विधिक सेवा समिति श्रीमाधोपुर (सीकर)	
30.03.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में पटवारी हल्का ने मो[illegible] करवाया कि न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय की पालना जरिये न[illegible]संख्या 1169 दिनांक 03.03.2022 के द्वारा [illegible] नहीं किया जा चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर फैसल किया जाता [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.31 12:16:14 IST
Reason: SelfAttested